

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/218

तुलसीराम आत्मज खेमा, जाति माली, (मृतक) जयें कायम मुकामान :-

1. रामधन्ध पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
2. श्योजी पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
3. मोहनलाल पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
4. कुन्जबिहारी पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
5. हुकमचन्द पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
6. रामनिवास पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
7. लक्ष्मण पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
8. प्रहलाद पुत्र तुलसीराम जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)
9. गंगाबाई बेवा तुलसीराम, जाति माली, निवासीगण ग्राम ढावला, तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)

—अपीलान्त

बनाम

1. गोपाल पुत्र अँकार जाति माली (मृतक) जयें कायम मुकामान:-
 - 1/1. कँसर बाई पुत्री नोपाल पत्नि सत्यनारायण, निवासी ग्राम छींचा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
 - 1/2. भेरी उर्फ भंवरीबाई पुत्री गोपाल पत्नि मन्नालाल, निवासी अर्जुनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
 - 1/3. धन्नी बाई पुत्री गोपाल पत्नि गोपाल, निवासी खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
2. नवलकिशोर पुत्र गोपाल, जाति माली, निवासी राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
3. रामकिशन पुत्र गोपाल, जाति माली, निवासी राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
4. राजस्थान राज्य सरकार जयें तहसीलदार सांगोद जिला कोटा (राज0)

(Handwritten signature)

मन्व प्रतिनिधि

न्याया राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा



रेस्पोंडेन्ट

- उपस्थित :- 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से।
2. श्रीमती हीना गोस्वामी, अभिभाषक, रैस्पॉन्डेंट क्रम 1/2 से 1/4 व 2, 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 07.07.2023

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा प्रकरण सं० 19/2010 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2022 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी, वादी की मां एवं प्रतिवादी के सम्मिलित खाते में ग्राम राजगड तहसील सांगोद में समभाग आराजी स्थित है तथा वादी की मां की मृत्यु होने से तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता खेमा तथा अँकार की पुत्रियों के वक्त फौती इन्तकाल मना करने पर आराजी में वादी एवं प्रतिवादी का 1/2 समभाग हिस्से की सम्मिलित आराजी है। आराजी का विवरण निम्न प्रकार है-

खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगानी
50 रेबारीवाला	9 बीघा 18 बिस्वा	बरानी सोयम	5.50
52 पाबरवाला	26 बीघा 15 बिस्वा	बरानी सोयम	15.00
53 बाबरवाला	3 बीघा 2 बिस्वा	बरानी सोयम	1.75
163	3 बीघा 17 बिस्वा	माल अब्बल	6.25
202 घई का कुआ	2 बीघा 6 बिस्वा	अब्बल चाह नं. 141	4.00
कुल किता	45 बीघा 16 बिस्वा		32.58

उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। वाद पत्र में वादी एवं प्रतिवादीगण का वंश राजरा अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 का सम्मिलित खाता होने से गोद वादी को कारत हिस्सा एवं फसल बंटवारा तथा लगान आदि जमा करने तथा आराजी का विकास कार्य हेतु सरकारी एवं बैंक की सहायता लेने में काफी परेशानी आ रही है जिससे वादी के हिस्से को पृथक करवाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 आये दिन वादी के हिस्से एवं हक की आराजी में शांतिपूर्वक कारत करने एवं फसल का बंटवारा करते वक्त वादी को नुकसान पहुंचाने, लडाई-झगडा करने, मटाखलत-मजामहत करने पर आभादा हैं ताकि वादी समुचित हक का हिस्सा न ले सकें। ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य अनेक प्रकार के विवाद पैदा न हों, वादी के लिए प्रतिवादी सं. 2 व 3 को अस्थाई निवेधाज्ञा द्वारा पाबंद करवाना आवश्यक हो गया है। वादी की बिना सहमति के प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त सम्मिलित हिस्से की आराजी को खुर्द-खुर्द करने पर भी आभादा है जिससे भविष्य में कई व्यक्तियों से वादी को अनेक प्रकार के विवादों का सामना करना पड़ेगा। अन्त में वादपत्र की धरण संख्या 2 में वर्णित आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी 1/2 समभाग आराजी अथवा वादी के उचित हिस्से तक जो भी आवे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से पृथक कर लगान आराजी भी

सर्व प्रतिनिधि

मध्यम राजस्व अंश
कोटा

0000

पृथक किये जाने तथा उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी का हिस्सा पृथक-पृथक अंकित किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2022 के द्वारा वाद वादी खारिज कर तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2022 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.03.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 04.03.2022 निरस्त किये जावें।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/2 से 1/4 व 2, 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वकील साहब ने प्रार्थीगण को बता रखा था कि प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बुलवा लूंगा, इसलिये उक्त प्रकरण में वकील साहब ही उपस्थित होते थे, तथा प्रार्थीगण को उक्त निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 10-08-2022 को प्रार्थीगण ने वकील साहब से सम्पर्क कर प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी की तो उन्होंने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04-03-2022 के बारे में बताया, इस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 12-08-2022 को निर्णय व डिक्री की नकल लेने के लिये आवेदन किया, जिसकी नकल दिनांक 25-08-2022 को प्राप्त होने पर अविलम्ब प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील की है, इस प्रकार निर्णय की दिनांक 04-03-2022 से जानकारी की दिनांक 10-08-2022 तक की अवधि एवं नकल लेने में लगा समय दिनांक 25-08-2022 तक की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने जानबूझ कर अपील प्रस्तुत करने में देरी नहीं की है, उपरोक्त प्रकार अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक एवं क्षम्य है, न्यायहित में उपरोक्त कारणों से निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 04-03-2022 से जानकारी होने की दिनांक 10-08-2022 तक की अवधि एवं नकल लेने में लगा समय दिनांक 25-08-2022 तक की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील अवधि मध्य स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त कारणों से निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 04-03-2022 से जानकारी होने की दिनांक 10-08-2022 तक की अवधि एवं नकल लेने में लगा समय दिनांक 25-08-2022 तक की अवधि को



msr

सत्य प्रतिलिपि

न्याया राजस्व अपील पाठिकाणी
कोट

मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील अवधि मध्य स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ-पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
8. अपील के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अपील के न्यायिक निस्तारण के लिए आवश्यक व निर्णायक है। अन्त में प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड व न्यायालय आदेशों की प्रमाणित प्रतियां हैं। उक्त दस्तावेजों का प्रकरण से सुसंगत होना तथा अपील के निस्तारण में सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।



कोटा अपीलांट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अपीलांट्स के पिता स्व० तुलसीराम जी ग्राम राजगढ़, तहसील सांगोद जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, नम्बर 52 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा, नम्बर 53 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा नम्बर 163 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, नम्बर 202 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल कित्ता 5 की रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा आराजी, प्रतिवादी/ रेस्पोंडेन्ट्स के पिता स्वर्गीय गोपाल जी के साथ सयुक्त खाते में उक्त आराजी स्थित थी। जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण समान रूप से 1/2-1/2 हिस्से के सयुक्त खातेदार थे और उसी के अनुसार काबिज काशत रहे, वादी एवं प्रतिवादी के निधन के पश्चात उनके वारिस उक्त आराजी के 1/2- 1/2 हिस्से के खातेदार मालिक हुये। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में काउन्टर क्लेम सन् 1995 में पेश किया गया था, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की सुनवाई कर दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहान के बयान के विपरीत जाकर निर्णय दिनांक 04-03-2022 पारित कर दिया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व रिकार्ड में 1/2-1/2 ग्राम राजगढ़ तहसील सांगोद की जमाबन्दी अनुसार खातेदारी में अंकित थी, उक्त आराजी सम्वत् 2012 के बाद से लगातार वादीगण एवं प्रतिवादी की खातेदारी में अंकित चली आ रही थी, वाद के निस्तारण के समय लगभग 65 वर्ष से लगातार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ उस समय से दर्ज रिकार्ड रही। जिसकी जानकारी सयुक्त खाते में होने से प्रतिवादी स्वर्गीय गोपाल जी को अपने जीवन पर्यन्त तक रही, और दोनों सम्मिलित रूप से अपने-अपने हिस्से पर काशत कर काबिज काशत रहे, कभी भी किसी तरह का आपस में कोई विवाद नहीं रहा, समय परिवर्तन पर लगान व कृषि ऋण वगैरहा लेने में हुई परेशानी से वादग्रस्त आराजी का अपीलांट के पिता वादी द्वारा बंटवारे

अध्यक्ष प्रतिलिपि

न्याया राजस्व अपील अधिकारी
कोटा

का वाद प्रस्तुत किया गया था, और जिसके लगभग 8 वर्ष बाद जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ, जिसमें प्रतिवादीण ने संयुक्त खाते में होना स्वीकार किया, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जिस तरह से विवेचना कर निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि यदि रिकार्ड में गलत अंकन हुआ हो तो प्रतिवादीगण द्वारा जानकारी में होते हुये भी क्यों कार्यवाही नहीं की गई, प्रतिवादीण द्वारा यह कहना कि जमाबन्दी की नकल लेने पर जानकारी हुई, पूर्णतया गलत है, और उसकी विवेचना भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण की है, हल्का पटवारी को रिकार्ड की पूर्ण जानकारी होती है, और जब भी जमाबन्दी की जरूरत होती है तो हल्का पटवारी से नकल प्राप्त की जाती है। कृषि ऋण एवं प्राकृतिक आपदा के कारण मिलने वाले मुआवजा राशि में भी जमाबन्दी को आधार बनाया जाता है, जिसमें यह तथ्य प्रतिवादीगण की जानकारी में शुरू से ही रहा है कि वह वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का ही खातेदार है, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक व रिकार्ड की साक्ष्य का विधि विरुद्ध विवेचन कर जिस तरह से निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तनकी संख्या 1 बनी थी कि वादी का 1/2 हिस्सा है, उसके सम्बन्ध में जो प्रस्तुत दस्तावेज थे, वह अधिवक्ता की त्रुटि से प्रदर्श नहीं हो पाये, और प्रतिवादी के गवाहान से भी जिरह नहीं की गई, वादी अनपढ एवं वृद्ध किसान था, जिसको कानूनी की बारीकीयों की कोई जानकारी नहीं थी, अधिवक्ता पर ही विश्वास किया, जबकि वादी अपने जीवन पर्यन्त रिकार्डेड खातेदार रहा है, तथा उसके पश्चात् अपीलान्ड्स रेकार्डेड खातेदार चले आ रहे हैं, तहसीलदार द्वारा जो खातेदारी दर्ज की गई वह पूर्णतया विधि सम्मत थी। उक्त तनकी के सम्बन्ध में प्रदर्श-1 जमाबन्दी को आधार मानकर निर्णय पारित किया है, इस प्रकार से माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पारिवारिक शजरा के दस्तावेजों व साक्ष्य से साबित होते हुये भी कि उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के 1/2-1/2 हिस्से की आराजी है, जिस पर दोनों अपने जीवन पर्यन्त काबित काश्त रहे सिद्ध तथ्यों के विपरीत जाकर अपनी विवेचना में जिस तरह से शजरा के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जानकारी में रहते हुये 1/2 हिस्से पर वादी/ अपीलान्ड्स के पिता तनहा काबिज काश्त रहे, जो एक प्रकार से खातेदारी होने की जानकारी को स्वीकार माना गया, और वक्त इन्द्राज उक्त आदेश को कभी भी चौलेन्ज नहीं किया गया, इस प्रकार यदि पारिवारिक शजरे में रिकार्ड नहीं मिलने भिन्नता भी हो तो संयुक्त खातेदार की मौन स्वीकृति अपीलान्ड्स की खातेदारी को पूर्णतया सिद्ध करती है। अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता वादी अपीलांट ने स्वयं के स्तर पर ही निर्णय लिए। वादी अपीलांट को कभी कोई जानकारी नहीं दी। वादी अपीलांट समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हमारे दस्तावेज नहीं हैं। इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत के अंतर्गत ए. आई. आर. 1981 एस. सी. पेज 1400, आर. आर. टी. 2023 (1) पेज 365, 375, आर. आर. डी. 1990 पेज 170, डी. एन. जे. 2000 एस. सी. पेज 164, आर. आर. टी. 2002(1) पेज 648, आर. आर. टी. 2001(2) पेज 872 व पेज 1133, आर. आर. टी. 2023(1) पेज 312 पेश किये। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज करने हेतु निवेदन किया।



(Handwritten signature)

सत्य प्रतिनिधि
 न्याया राजसुल अपील पाधिकारी
 कोटा

10. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा मौखिक बहस में निवेदन किया कि अपीलान्त वादी की ओर से प्रस्तुत मद संख्या 1 स्वीकार नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद का निर्णय दिनांक 04.03.2022 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुकूल होने से अपील अपीलान्त/वादी खारिज होने योग्य है। अपील की मद संख्या 2 स्वीकार नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.03.2022 में रेस्पोंडेंट प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्त वादी का वाद खारिज किया गया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सेटलमेंट से पूर्व सम्वत् 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 जो कि प्रदर्श-पी-1 है। उक्त प्रदर्श पी-1 में सम्पूर्ण भूमि में खातेदार गोपाल वल्द आँकार दर्ज है। दौराने सेटलमेंट द्वारा अपीलान्त वादी का 1/2 हिस्से का गलत अंकन कर दिया, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अधिकारों का परिवर्तन करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है। किया गया अंकन 1/2 हिस्सा विधि विरुद्ध होने से तनकी संख्या 1 आया। वादपत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा बनता है। जिम्मेवादी-इस तनकी संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त वादी के विरुद्ध तय की गई है जिसमें प्रदर्श पी-1 पूर्ण विवेचना की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.03.2022 पूर्णरूपेण रिकॉर्ड और साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपीलान्त वादी की अपील खारिज योग्य है। अपील की मद नं. 3 मिथ्या, बनावटी, काल्पनिक है, क्योंकि अपीलान्त/वादी का विवादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। इस तथ्य की पुष्टि, उपखण्ड अधिकारी के यहां पेश वाद वर्ष 1988 के साथ प्रस्तुत धारा 212 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 29.04.1989 को किया गया था जिसने पेज नं. 3 स्पष्ट विवेचना की गई, कि अपीलान्त/वादी का विवादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा सिद्ध नहीं कर पाया ऐसी सूरत में 212 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र अपीलान्त/वादी का दिनांक 29.04.1989 को खारिज किया गया। यह फाइंडिंग राजस्व मण्डल की निगरानी संख्या 60/95 के निर्णय दिनांक 11.04.1996 में पेज संख्या 3 के पैरा संख्या 6 में राजस्व मण्डल ने यह माना की निगराकर गोपाल आत्मज आँकार रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। राजस्व मण्डल ने यह भी फाइंडिंग दी की विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा अपीलान्त/वादी का मानना उचित नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट पूर्व विवादग्रस्त सम्वत् 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 में रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी गोपाल पुत्र आँकार के नाम दर्ज थी तथा वह काबिज था और वर्तमान में भी काबिज है। इस प्रकार अपील के चरण क्रम-3 में 1/2 हिस्से पर काश्त करने का कथन मिथ्या है। क्योंकि अपीलान्त/वादी ने 1988 में वाद पेश करते समय कब्जा काश्त में नहीं था। अपीलान्त/वादी का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं था। इस प्रकार अपीलान्त/वादी वाद पेश करते समय कब्जे में नहीं होने के कारण अंतर्गत धारा-53, 188 आर.टी.एक्ट का दावा नहीं ला सकता। न्यायिक दृष्टांत- Rajasthan Tenancy Act & (a) Section 188- In a suit under this section is plaintiff must show his actual and physical possession over the suit land on the date of the filing of the suit - The only thing to be examined is the possession of the plaintiff tenant and if his possession is threatened or invaded by any person, such possession can be protected by the Court -(Para-4) RRD-1994, Page No- (326-327) (S.B.) * Rajasthan



[Handwritten signature]

सत्य प्रतिनिधि

अधिवक्ता, राजस्थान अपील प्राधिकारी
कोटा

Tenancy Act, Section 188- For a suit under this Section to succeed] the plaintiffs must demonstrate that they were in cultivatory possession of land in dispute on date of filing of suit- (Para 8) RRD 1988 Page No.(703-704) (D.B.)- इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 4 अपीलान्त/वादी के विरुद्ध तय की गई है। अपीलान्त/वादी का सेटलमेंट के द्वारा 1/2 हिस्से का केवल मात्र गलत इंड्राज होने पर अपीलान्त/वादी के मन में बदनियति आ जाने से आर. टी. एक्ट की धारा 53, 54, 188 का दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार करते हुये अपीलान्त/वादी का दावा दिनांक 04.03.2022 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.03.2022 का विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्त/वादी खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.03.2022 के पेज नं. 10 में तनकी नं. 1 की विवेचना करते हुये तनकी नं. 1 अपीलान्त/वादी के विरुद्ध तय की गई है। क्योंकि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2009-2012 ग्राम राजगढ़ की जमाबंदी में रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी गोपाल वल्द ओंकार सेटलमेंट से पूर्व खाते में दर्ज थी जो जमाबंदी प्रदर्श पी-1 है जिसमें अपीलान्त/वादी का नाम दर्ज नहीं था। अपीलान्त/वादी का नाम 1/2 हिस्से पर। सेटलमेंट विभाग की गलती से दर्ज हुआ जो काबिल निरस्तनीय योग्य है। क्योंकि सेटलमेंट विभाग को प्रिवियस इंड्राज बदलकर अपीलान्त/वादी तुलसीराम पुत्र खेमा का नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं था। किया गया अंकन काबिल निरस्तनीय योग्य था। इस बाबत अधीनस्थ द्वारा तनकी नं. 5-आराजी विवादित आराजी सेटलमेंट से पूर्व गोपाल के खाते में दर्ज थी सेटलमेंट विभाग को प्रिवियस इंड्राज बदलकर अपीलान्त/वादी के पिता खेमा का नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं था। किया गया अंकन काबिल निरस्तनीय योग्य था, जो कानूनन आर. आर. डी. 1994, पेज संख्या 266, व आर. आर. टी. 2008 वॉल्यूम-1 पेज नं. 151 व 1994 आर. आर. डी. पेज नं. 204 न्यायिक सिद्धांत के विपरित होने से काबिल निरस्तनीय थी। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी का काउंटर क्लेम करते हुये का इंड्राज गंगाबाई पत्नी तुलसीराम हिस्सा 1/2 अपीलान्त/वादी का नाम खाते से डिलिट करने में कोई त्रुटि नहीं की और संपूर्ण आराजी ग्राम राजगढ़ के पुराने खसरा नं. 50, 52, 53, 163, 202 कुल 45 बीघा, 16 बिस्वा जिसके वर्तमान नं. 173/915, 174, 174/916, 175, 179, 186, 187, 338, 339, 391 किता 10 रकबा 7.41 पर रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी को खातेदार घोषित कर दिया। पारित निर्णय दिनांक 04.03.2022 विधि सम्मत है। अपील अपीलान्त/वादी खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 5 रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी के पक्ष में तय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 5 अपीलान्त/वादी के विरुद्ध तय कर अपीलान्त/वादी का दावा विधि अनुकूल खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.03.2022 विधि अनुकूल होने से अपील अपीलान्त/वादी खारिज होने योग्य है। अपीलान्त/वादी की अपील का मद नं. 4 स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि विवादग्रस्त आराजी सेटलमेंट के पूर्व सम्पूर्ण भूमि जमाबंदी सम्वत् 2009-2012 जो प्रदर्श पी-1 है में खातेदारी गोपाल पुत्र ओंकार खातेदार दर्ज था और काबिज काश्त था, केवल मात्र सेटलमेंट की गलती से 1/2 हिस्से पर अपीलान्त/वादी का नाम गलत तरीके से इंड्राज हो गया। जो काबिल निरस्तनीय योग्य है। जो कि न्यायिक दृष्टांत आर. आर. डी. 1994 व आर. आर. टी. 2008 (1) पेज संख्या-151 एच.सी. (राजस्थान) इस तथ्य को अपीलान्त/वादी ने अपने अपील के पेज संख्या-4 के मद नं. 4 में स्वीकार किया गया कि रिकॉर्ड में गलत 1/2 हिस्से का अंकन हुआ तो रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी के द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इस रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी का कथन है, अपीलान्त/वादी ने गलत इंड्राज

Handwritten signature

राज्य प्रतिनिधि

न्याया राजगढ़ अपील अधिकारी
कलक

के आधार पर अंतर्गत धारा - 53, 54, 188 आर. टी. एक्ट का दावा 1988 में कर दिया था, जिस पर रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी के द्वारा जवाब व काउंटर क्लेम पेश करने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्त/वादी का वाद दिनांक 04.03.2022 को खारिज कर दिया, जो कि विधि सम्मत है, और अपीलान्त/वादी का नाम डिलिट करने का आदेश न्यायालय के द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार अपीलान्त/वादी का मद नं. 4 सारहीन होने अपील अपीलान्त/वादी खारिज होने योग्य है। अपीलान्त/वादी की अपील का मद नं. स्वीकार योग्य नहीं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय तनकी नं. 1 अपीलान्त/वादी विरुद्ध तय गई है जमाबंदी सम्वत् 2008-2012 प्रदर्श पी-1 जिसमें खातेदार गोपाल पुत्र आँकार जाति माली एकल जोत दर्ज जो रिकॉर्डेड साक्ष्य जिसके आधार पर रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार कर तनकी नं. बहक रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी के हक तय की गई, अपीलान्त/वादी का वाद खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई वुटि नहीं की गई अपील अपीलान्त/वादी खारिज होने योग्य है। अपीलान्त/वादी की अपील का मद नं. स्वीकार नहीं है। क्योंकि सेटलमेंट द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर 1/2 हिस्सा गलत इंद्राज हो गया जो डिलिट होना था, क्योंकि सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के इंद्राज को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। जो गलत इंद्राज को काबिल निरस्तनीय योग्य मानी जाती जो आरएल. आर. एक्ट 1956 सेक्शन 125, 136 के प्रावधानों के विपरित माना जाता है। ऐसी की गई प्रविष्टि सेटलमेंट विभाग के द्वारा की गई गलत अवैध मानी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विषयगत तनकी को रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी के हक तय करते हुये अपना निर्णय दिनांक 04.03.2022 में अपीलान्त/वादी का 1/2 हिस्से का गलत इंद्राज को डिलिट करने में और संपूर्ण आराजी रेस्पॉण्डेंट/प्रतिवादी के हक संपूर्ण भूमि खाते दर्ज करने कोई वुटि नहीं की। अपील अपीलान्त/वादी खारिज होने योग्य है। अपीलान्त की अपील का मद नं. 7 स्वीकार नहीं है। क्योंकि अपीलान्त/वादी द्वारा पेश दावे में जो पारिवारिक सजरा पेश किया गया उसमें आँकार और खेमा दोनों सगे भाई होना सिद्ध नहीं होता है क्योंकि सजरे में इन दोनों भाईयों के पिता का नाम अंकित नहीं इस बाबत तनकी नं. 2 आया आँकार एवं खेमा सगे भाई थे, वाद पर इसका क्या असर है-जिम्मेवादी। तनकी नं. 2 अधीलान्त/वादी के विरुद्ध तय की गई है अपीलान्त/वादी इस तथ्य को सिद्ध नहीं कर पाया की आँकार व खेमा दोनों सगे भाई थे, क्योंकि जमाबंदी 2008-2012 में गोपाल पुत्र आँकार के खाते दर्ज थी जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 सम्वत् 2012 में लागू हुआ उस समय 2012 की जमाबंदी में गोपाल पुत्र आँकार का नाम दर्ज था। इसका मतलब यह हुआ कि आँकार का कोई सगा भाई नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने खेमा का सगा भाई नहीं माना और अपीलान्त/वादी भी इस तथ्य को सिद्ध नहीं कर पाया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-8, प्रदर्श पी-9, प्रदर्श पी-10 जो पेश किया गया है उनमें अंकित आराजियात व आराजियात के खातेदार अन्य व्यक्ति है जिनका इस वाद से कोई संबंध नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं 2 अपीलान्त वादी के विरुद्ध तय की गई है। अपीलान्त/वादी ऐसा कोई भी रिकॉर्डेड साक्ष्य पेश नहीं कर सका जिसमें आँकार व खेमा दोनों सगे भाई होना सिद्ध हो सके। इस तथ्य को सिद्ध करने में अपीलान्त/वादी असमर्थ रहा इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.03.2022 विधि सम्मत है। अपील अपीलान्त/वादी खारिज होने योग्य है। अपीलान्त/वादी की अपील का मद नं. 10 स्वीकार नहीं है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 04.03.2022 को कर दिया था जिसकी जानकारी अपीलान्त/वादी के वकील को जानकारी थी। अपीलान्त/वादी के द्वारा अपील अंदर मियाद पेश नहीं की गई। अपील मियाद बाहर



[Handwritten signature]

शतय प्रतिनिधि

[Handwritten signature]

शतय राजस्व अपील पाधिकारी
कोट

होने से अपील अपीलांत/वादी खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2022 में तनकी नं. 1 से 6 अपीलांत/वादी के विरुद्ध तय की गई है। इस कारण अपील अपीलांत/वादी खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2022 की पालना मुताबिक इजराय न. 21/2022 न्यायालय आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सांगोद की पालना में क्रमांक 2022/272 दिनांक 07.03.2022 व तहसील आदेश क्रमांक भू-अभिलेख/2022/1139 दिनांक 08.03.2022 की पालना में अपीलांत/वादी खातेदार गंगाबाई पत्नी तुलसीराम हिस्सा 1/2 का नाम खाते से डिलिट कर दिया गया है और संपूर्ण आराजी 7.41 डैक्टर भूमि पर रेस्पोंडेंट/प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित कर इंद्राज कर दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्ण पालना हो चुकी है। अपील अपीलांत/वादी सारहीन होने निरस्तनीय होने योग्य है। अपीलांगण 1 से अधिकार नहीं केवल मात्र अपीलांत संख्या 9 गंगाबाई को अपील पेश करने का अधिकार है क्योंकि जयें रिलीजउ डीड गंगाबाई के हम में अपने अधिकारों का हकत्याग कर दिया गया है, जिसका इंद्राज इंतकाल नं 172 दिनांक 05.03.2010 जमाबंदी सम्वत 2064-67 में केवल अपीलांत 9 गंगाबाई देवा तुलसीराम खातेदार है जिसका न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.03.2022 में अपीलांत 9 गंगाबाई तुलसीराम हिस्सा 1/2 डिलिट किया गया विधिवत रूप डिलिट कर रेस्पोंडेंट प्रतिवादी संपूर्ण भूमि दर्ज करने आदेश गया है इस प्रकार अपीलांत से 8 को अपील करने अधिकार नहीं अपील अपीलांत/वादी खारिज होने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने न्यायिक दृष्टांत के अंतर्गत आर. आर. डी. 1994 पेज 204, 266, आर. आर. डी. 1992 पेज 658, आर. आर. टी. 2008 VOL. (1) पेज 151 हाईकोर्ट पेश किये। अंत में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपील अपीलांत खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांत द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकार्ड की फोटो प्रतियों में नामांतरकारण सं० 657 दिनांक 09.03.2022 के अनुसार खसरा नं० 173/915 रकबा 0.09 हे., 174 रकबा 0.46 हे., 174/916 रकबा 0.57 हे., 175 रकबा 0.47 हे., 179 रकबा 0.50 हे., 186 रकबा 2.33 हे., 187 रकबा 2 हे., 338 रकबा 0.19 हे., 339 रकबा 0.43 हे., 391 रकबा 0.37 हे. कुल कित्ता 10 कुल रकबा 7.41 हे० भूमि मुताबित डिक्री न्यायालय उपखंड अधिकारी सांगोद कमांक 272 दिनांक 07.03.2022 व तहसील आदेश क्रमांक 1139 दिनांक 08.03.2022 की पालना में नवल किशोर पुत्र गोपाल हिस्सा 1/5 रामकिशन पुत्र गोपाल हिस्सा 1/5, केशरबाई पुत्री गोपाल हिस्सा 1/5 धन्नी बाई पुत्री गोपाल हिस्सा 1/5 भैरीबाई उर्फ भंवरी बाई पुत्री गोपाल हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड किया गया है। नकल जमाबंदी संवत् 2015-2018 के अनुसार खसरा नं० 50 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं० 52 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं० 53 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं० 163 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं० 202 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, कुल कित्ता 5 रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर गोपाल वल्द ओंकार, खेमा वल्द देवा कौम माली सा. देह हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सत्यापित प्रति खाता संवत् 2009-2012 मय खाता सं० 21 गोपाल बेटा ओंकार के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी 2064-2067 के अनुसार कुल कित्ता 10 कुल रकबा 7.41 हे० भूमि गोपाल के वारिसान हिस्सा 1/2 हि. व. तथा तुलसीराम के वारिसान हिस्सा 1/2 हि. व. के नाम दर्ज है।

सत्य प्रतिलिपि

न्याया राजस्व अपील पाधिकारी
कोटा

तथा जमाबंदी में अंकित नोट "इंतकाल नं० 172 दिनांक 05.03.2010 से हक त्याग द्वारा रामचन्द्र शोजी मोहन कुंजबिहारी हुकमचन्द रामनिवास लक्ष्मण प्रह्लाद के स्थान पर गंगाबाई बेवा तुलसीराम के नाम हिस्सा 1/2 में खाता दर्ज करने का आदेश हुआ।" अंकित है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2018 (खसरा नं० 253 से 259 तक), खसरा गिरदावरी संवत् 2019-2022 (खसरा नं० 251 से 260 तक), खसरा गिरदावरी संवत् 2015-2018 (खसरा नं० 310 से 314 तक), खसरा गिरदावरी संवत् 2019-2022 (खसरा नं० 301 से 310 तक) प्रस्तुत की है। खसरा गिरदावरी संवत् 2019-2022 (खसरा नं० 161 से 168 तक) जिसमें से खसरा नं० 163 की 3 बीघा 17 बिस्व भूमि पर गोपाल वल्द ओंकार व खेमा वल्द माली उपकृषक दर्ज रिकार्ड है। तथा गिरदावरी में फसल दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2015-2018 (खसरा नं० 197 से 203 तक), जिसमें से खसरा नं० 202 रकबा 02 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर गोपाल वल्द ओंकार खेमा वल्द देवा कौम माली हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है तथा गिरदावरी में फसल दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2015-2018 (खसरा नं० 162 से 168 तक) जिसमें से खसरा नं० 163 की 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर गोपाल वल्द ओंकार खेमा वल्द देवा कौम माली हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है तथा गिरदावरी में फसल दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद 1988 में अपीलांटगण के पिता एवं पति वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.06.1995 को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। वाद में वादी का अनुतोष यह है कि वाद पत्र की चरण सं० 02 में वर्णित आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी 1/2 समभाग आराजी अथवा वादी के उचित हिस्से तक जो भी आवे प्रतिवादी कम 01 के हिस्से से पृथक पृथक कर लगान आराजी भी पृथक किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी का हिस्सा पृथक पृथक अंकित करवाया जावे, परंतु अपने काउन्टर क्लेम के बिन्दू सं० 03 में प्रतिवादीगण ने कथन किया कि "वाद पत्र की मद नं० 3 में वर्णित सिजरा भी स्वीकार नहीं है वादी के पिता खेमा हम प्रतिवादीगण के पिता गोपाल के सगे भाई नहीं थे।" इसी प्रकार बिन्दू सं० 4 में कथन किया कि "वाद पत्र की मद नं० 4 के उत्तर में निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर कभी भी वादी अथवा उसके पिता का कब्जा नहीं रहा, संपूर्ण आराजी हम प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में ही चली आ रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में हम प्रतिवादीगण के पिता गोपाल के साथ सहवन गैर कानूनी अवैधानिक रूप से सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही सेटलमेंट विभाग द्वारा अंकित हो गया जो हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रभावहीन है। उसका विवादित आराजी में कोई हक नहीं बनता है, इसलिये उसको वाद प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था।" अधीनस्थ न्यायालय में तनकीयात कायम की गयी। अपील तथा बहस में कथन किया है कि पक्षकार को कोई सूचना नहीं दी गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय में वादी के अधिवक्ता द्वारा ही सारे निर्णय लिए। परंतु हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि स्वयं वादी तुलसीराम ने वाद संस्थित किया तथा वाद में पक्षकारान प्रभावी रूप से कन्टेस्ट कर रहे थे। इसी कारण माननीय उच्च न्यायालय तक भी प्रकरण पहुंचा तथा माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 26.02.2002 में 8 माह में प्रकरण के निस्तारण के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.02.2022 से स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में इतने पुराने वाद को निस्तारण करने हेतु उचित प्रयास किए। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि वादीगण के अधिवक्ता लगातार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो रहे थे। अधिवक्ता वादी बहस नहीं करना चाहते थे। परंतु वाद में काउन्टर क्लेम भी

(Handwritten signature)

अध्यक्ष प्रतिनिधि

(Handwritten signature)

अध्यक्ष राजस्व अपील अधिकारी
कोटा

था अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस सुनी, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.03.2022 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर संवत् 2008 से ही गोपाल पुत्र ओंकार तन्हा खाते दर्ज रिकार्ड है। दस्तावेजों से कही सिद्ध नहीं है कि ओंकार व खेमा दोनों आपस में सगे भाई हो। संवत् 2012 से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2008 के अनुसार भू-प्रबंध से पूर्व तक विवादित आराजी पर गोपाल वल्द ओंकार ही तन्हा खातेदार दर्ज होकर भूमि पर काबिज काशत रहना अंकित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.03.2022 में प्रदर्श सं० 01 से प्रदर्श सं० 11 के संबंध में विवेचन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श/दस्तावेज संलग्न नहीं है। वादी अपीलांत द्वारा अपील के बिन्दु संख्या 3 व 7 के अनुसार उक्त विवादित आराजी पर संवत् 2012 के बाद से लगातार गोपाल वल्द ओंकार के साथ अपने पिता तुलसीराम तथा उससे पूर्व अपने दादा खेमा की संयुक्त खातेदारी होना अंकित किया है, तथा कथन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी में गोपाल वल्द ओंकार तथा उसके वारिसान की मौन स्वीकृति अपीलांत की खातेदारी को सिद्ध करती है। भू-प्रबंध के बाद गोपाल वल्द ओंकार की खातेशुदा भूमि में वादी अपीलांत के दादा खेमा का नाम किन दस्तावेजों के आधार पर रिकार्ड में दर्ज हुआ, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। वादी अपीलांत भू-प्रबंध से पूर्व उक्त विवादित आराजी में अपनी सहखातेदारी तथा भूमि पर कब्जा काशत साबित करने में असफल रहा है। हम अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट के इस तर्क से सहमत हैं कि केवल खसरा गिरदावरी के आधार पर किसी कृषक को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। केवल खसरा गिरदावरी के आधार पर अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। हम अधिवक्ता अपीलांत के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि अधिवक्ता वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में सारे निर्णय स्वयं ही लिये। वादी अपीलांत स्वयं की लापरवाही दूसरे पर नहीं धोप सकता। वादी अपीलांत द्वारा सम्बंधित विद्वान अधिवक्ता के विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में इतने पुराने वाद में वादी अपीलांत केवल अपने अधिवक्ता को अपना समुचित पक्ष नहीं रखने का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अपीलांत द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में भी ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह साबित हो कि ओंकार व खेमा सगे भाई हैं। खेमा को किस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं करने पर स्पष्ट अंकित किया है कि, " प्रकरण में दिनांक 28.02.2002 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यह निर्देश प्रदान किये गये थे कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि वह उसके समक्ष विचाराधीन मूलवाद का निरस्तारण इस आदेश की प्रतिलिपी प्राप्त होने से 6 माह की अवधि में आवश्यक रूप से कर देगा। पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि नियत अवधि में प्रकरण के निस्तारण में विचारण न्यायालय का सहयोग करेंगे। यहां यह टिप्पणी करना आवश्यक है कि अधिवक्ता वादी को बार-बार माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ जयपुर के इस आदेश के संबंध में अवगत कराने पर भी अधिवक्ता वादी द्वारा न्याय निर्णयन में न्यायालय का सहयोग नहीं किया है। मूल दावे में स्वयं अधिवक्ता वादी श्री नरेश कुमार गौतम द्वारा दिनांक 29.03.2003, 18.07.2003, 18.07.2004 एवं दिनांक 20.11.2004 को विभिन्न प्रार्थना-पत्र लगाये गये थे, परन्तु 20 वर्ष बाद भी ना तो अपने ही लगाये हुए प्रार्थना-पत्रों में बहस की एव ना ही साक्ष्य प्रतिवादी से जिरह की एवं ना ही बहस अंतिम की। इतना ही नहीं पेशी दिनांक 07.02.2022, 14.02.2022, 28.02.2022 एवं 02.03.2022 को लगातार न्यायालय का असहयोग किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार न्यायालय का असहयोग कर

सत्य प्रतिक्रिया

न्याया .राजस्व अपील पाधिकारी
कोटा

अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपीलीय न्यायालयों से इसी मुद्दे पर रिलीफ चाहने का प्रयास करना चाहते हैं कि प्रकरण में उनके विरुद्ध लगातार एकतरफा कार्यवाहियां की गई हैं। यहां यह टिप्पणी करना इसलिये आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की मंशा रखने वाले वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण विभिन्न दाव-पेंच अपनाकर ना केवल अधीनस्थ न्यायालयों का समय जाया करते हैं अपितु अपीलीय न्यायालयों का भी महत्वपूर्ण समय जाया करते हैं। वादीगण द्वारा स्वयं ही वाद लाया गया तथा वर्ष 1988 से लगातार प्रकरण में विलम्ब कारित करने हुए वाद की अंतिम स्टेज पर न्यायालय का सहयोग नहीं किया गया, इसके लिए वादी पर 2000/- अक्षरे दो हजार रूपये की कोस्ट इम्पोज की जाती है।" इससे स्पष्ट है कि वादी संभवतः प्रकरण को निस्तारित नहीं करवाना चाहते थे तथा इसमें लगातार वादी की विलम्ब करने की मंशा रहीं है। प्रकरण सन् 1988 में वादी अपीलांट के पिता व पति द्वारा संस्थित किया गया था। प्रकरण का निर्णय लगभग 34 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन से गुणावगुण के आधार पर किया गया है। अतः बिना किसी ठोस कारण एवं साक्ष्य/दस्तावेज के प्रकरण को प्रतिप्रेषित करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण पहले ही लगभग 34 वर्ष में निर्णित हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि वादी अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे वादी अपीलांट के कथन साबित होते हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय किया है, जिससे हम सहमत हैं। तनकीवार निर्णय को पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के तनकीवार निष्कर्षों से सहमत है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2022 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्य प्रतिलिपि

न्याय राजस्व अर्पण प्राधिकारी
कोटा

(मनोज कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा